आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

आंगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या 54/2012

ललिता कुमारी — पुनरीक्षणकर्त्ता

बनाम

राज्य — रेस्पाण्डेन्टस्/विपक्षीगण

–:आदेश:–

प्रस्तुत आंगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद जिला पदाधिकारी, सुपौल के न्यायालय से आदेश 1154 दिनांकः 03.12.2011 ई० अंदर आंगनबाड़ी अपील वाद संख्या– 21/2011 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दाखिल किया गया है।

पुनरीक्षणकर्त्ता का पुनरीक्षण आवेदन एवं निम्नन्यायालय के आदेश में दर्ज तथ्यों के अनुसार संक्षेप में मामला यह है कि अनुमंडल पदाधिकारी, वीरपुर द्वारा दिनांक 09.04.11 को आंगनबाड़ी केन्द्र कोड –3 मध्य विद्यालय, वायसी गद्दी, पंचायत– वायसी, परियोजना– राघोपुर (सुपौल) का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात ज्ञापांक 116/गो0 दिनांक 17.04.11 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि–

1. 11.00 बजे पूर्वाहन में बोर्ड नहीं लगा हुआ था।

2. सहायिका श्रीमती रेणु देवी अनुपस्थित पायी गयी।

3. केन्द्र पर एक भी बच्चे उपस्थित नहीं पाए गए जबकि उपस्थिति पंजी के अनुसार दिनांक 08.04.11 तक प्रतिदिन 40 बच्चे उपस्थित थे।

4. भंडार पंजी उपलब्ध नहीं था।

5. टेक होम राशन का वितरण 15.03.2011 को किया गया था। टी०. एच०.आर० पंजी में वितरित राशन की मात्रा अंकित नहीं किया गया था।

6. केन्द्र पर पोशाहार बनाये जाने संबंधी कोई साक्ष्य नहीं मिला।

7.केन्द्र पर स्कूल पूर्व शिक्षा संबंधी एक भी पोस्टर, बैनर नहीं लगा हुआ था।

8. क्रय पंजी उपलब्ध नहीं था।

9. केन्द्र का संचालन ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है तथा यह केन्द्र कभी– कभार ही खुलता है।

पुनरीक्षणकर्त्ता कथन करती है कि उपर्युक्त अनियमितता के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल के ज्ञापांक 357 दिनांक 11.05.11 के द्वारा श्रीमती ललिता देवी, सेविका से स्पष्टीकरण पूछा गया। आरोपी (पुनरीक्षणकर्त्ता) द्वारा स्पष्टीकरण में आरोपों के संबंध में कथन किया गया है कि आंधी में साईनबोर्ड क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण बाद में बदल दिया गया। जहॉ तक सहायिका के केन्द्र से अनुपस्थित रहने का प्रश्न है इस संबंध में अपील आवेदन में यह कथन किया गया है कि सहायिका उक्त तिथि को अपने नजदीकी रिश्तेदार के दाह संस्कार में भाग ले रही थी। जहॉ तक निरीक्षण के दिन एक भी बच्चे का उपस्थित नहीं रहने का प्रश्न है इस संबंध में पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा कथन किया गया है कि पुनरीक्षणकर्त्ता उस दिन आयोजित होने वाले टीकाकरण अभियान के जानकारी देने हेतु पोषक क्षेत्र में गयी हुयी थी। सहायिका केन्द्र से अनुपस्थित थी जिसके कारण केन्द्र पर जमा बच्चे अपने घरों को वापस लौट गये जिन्हें पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा टीकाकरण कार्य के लिए वापस केन्द्र पर जमा किया गया। जहॉ तक पोषाहार नहीं बनाने का प्रश्न है पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि उक्त निरीक्षण की तिथि को सहायिका केन्द्र से अनुपस्थित थी एवं पुनरीक्षण कर्त्ता द्वारा 12.30 अपराहन् में टीकाकरण सम्पादन के पश्चात बनाया गया। जहॉ तक केन्द्र पर भंडार पंजी नहीं रहने के कारण भंडार के भौतिक सत्यापन नहीं हो पाने का प्रश्न है उपरोक्त संबंध में पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा यह कहा गया है कि आंगनबाड़ी केन्द्र के खिड़की, चहारदीवारी, दरवाजों की दयनीय स्थिति को देखते हुए महत्वपूर्ण सभी रजिस्टर जैसे भंडार पंजी, क्रय पंजी आदि को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अपने घर पर रखा जाता है जिसे निरीक्षण की तिथि दिनांक 09.04.11 को भूलवश केन्द्र पर नहीं लाया जा सका। जहॉ तक दिनांक 15.03.11 को टी०एच०आर० वितरण पंजी में लाभार्थियों के अंगूठे का निशान होने के बावजूद पोषाहार वितरण संबंधी प्रविष्टि नहीं करने का प्रश्न है इस संबंध में पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि पंजी के प्रत्येक पृष्ठ पर पहले कॉलम में मात्रा दर्ज है उसके नीचे ,, अंकित था। जहा ँतक केन्द्र पर स्कूल पूर्व शिक्षा संबंधी एक भी पोस्टर नहीं लगा होने का प्रश्न है उपरोक्त के संबंध में पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा पुनरीक्षण आवेदन में यह कहा गया है कि तुफान के कारण पोस्टर एवं अन्य सामग्री नष्ट हो गयी जिसे बाद में नये पोस्टर से बदल दिया गया। जहॉ तक क्रय पंजी नहीं होने का प्रश्न हैं पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा पुनरीक्षण आवेदन में यह कथन किया गया है कि निरीक्षण तिथि को भूलवश क्रय पंजी को घर से नहीं लाया जा सका। जहॉ तक केन्द्र का संचालन ठीक ढंग से नहीं किए जाने का प्रश्न है इस संबंध में पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि निरीक्षण के दिन पोषाहार का निर्माण 12.30 बजे अपराह्न में किया गया जिसके कारण निरीक्षण पदाधिकारी को 11.30 बजे पूर्वाहन में पोषाहार निर्माण संबंधी कोई साक्ष्य नहीं मिला। आगे यह भी कथन किया गया है कि वास्तविक तथ्य यह है कि चूँकि अनेक आग्रह करने के बाद भी कार्यालय द्वारा केवल एक ही टोपिया उपलब्ध कराया गया जिसके कारण अन्य बर्तन की मदद से केन्द्र पर पोषाहार का निर्माण किया गया।

उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण असंतोषप्रद पाए जाने पर सुनवाई हेतु तिथि 17.06.2011 निर्धारित की गयी। सुनवाई के उपरान्त जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल के ज्ञापांक 751 दिनांक 19.07.11 द्वारा आदेश पारित किया गया कि–

1.श्रीमती ललिता देवी, सेविका, आंगनबाड़ी केन्द्र कोड–03, मध्य विद्यालय, वायसी गद्दी, पंचायत– वायसी , परियोजना– राघोपुर (सुपौल) को तात्कालिक प्रभाव से चयनमुक्त किया गया ।

2. श्रीमती ललिता देवी को निदेश दिया गया कि पत्र निर्गत तिथि के 15 दिनांक के अन्दर विगत एक वर्ष में पोषाहार मद में गबन की गई पोशाहार की राशि मो0 48640.00 रूपये बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, राघोपुर द्वारा निर्दिष्ट बैंक में जमा करें अन्यथा उनके विरूद्ध नीलाम पत्र दायर किया जायेगा।

आगे यह भी कथन करते है कि उक्त चयनमुक्त आदेश के विरूद्ध श्रीमती ललिता देवी द्वारा दिनांक 23.08.11 को जिला पदाधिकारी, सुपौल के न्यायालय में अपील आवेदन दायर किया गया तथा सुनवाई के बाद उनके पत्रांक 751 दिनांक दिनांक 19.07.11 द्वारा निर्गत चयनमुक्त आदेश को बरकरार रखते हुए परिवादी के अपील आवेदन को निरस्त किया गया। पोशाहार मद मे गबन की गयी राशि की गणना हेतु उक्त केन्द्र के विगत एक वर्श के पोषाहार एवं टी0 एच0 आर0 वितरण पंजी एवं अन्य पंजी का भौतिक सत्यापन संबंधित महिला पर्यवेक्षिका से एक पक्ष के भीतर कराकर गबनित राशि की गणना कर वसूली हेतु नियमानुसार कार्रवाई करने के साथ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, राघोपुर को उक्त केन्द्र पर नये सिरे से सेविका के चयन हेतु विभागीय निदेश के आलोक में 15 दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया है।

उक्त आदेश के आलोक में इस न्यायालय में पुनरीक्षण अपील दायर किया गया है जिसकी विभिन्न तिथियों को सुनवाई करते हुए अंतिम सुनवाई तिथि 21.09.13 को की गई।

पुनरीक्षणकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता का सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया पाया कि **दिनांक 04.11.2011 को ऑगनबाड़ी की नई मार्गदर्शिका 2011 की धारा 10.06 में प्रावधानित है कि *''जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध 30 दिनों के अन्दर जिला पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा। जिला पदाधिकारी संबंधित पक्षों को सुनकर 60 दिनों के अंदर आदेश पारित करेंगे। इस आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी।''*** प्रस्तुत मामले में जिला पदाधिकारी, सुपौल का आदेश **ज्ञापांक 1154/जि0प्रो0 दिनांक** 03.12.2011 का है। इसलिए यह वाद इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है । उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर उभय पक्षों को सुनने के उपरान्त जिला पदाधिकारी सह अपीलीय प्राधिकार, सुपौल ने यह पाया है कि ऑगनबाड़ी सेविका द्वारा एक वर्ष तक ऑगनबाड़ी केन्द्र का संचालन सही ढंग से नहीं किया एवं उपस्थिति पंजी फर्जी तैयार कर राशि निकासी की गई।

ऐसे गबन ग्रस्त राशि की वसूली भौतिक सत्यापन कर सरकारी नियमानुसार की जाय। ऑगनबाड़ी सेविका द्वारा सुनियोजित ढंग से उपस्थिति पंजी तैयार कर गबन किया गया है।

अपीलीय प्राधिकार सह जिला पदाधिकारी, सुपौल का आदेश विधि सम्मत है।

अपीलीय प्राधिकार का आदेश नैसर्गिक न्याय का अनुपालन करते हुए पारित किया गया है। अतः इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

इस प्रकार अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा